


सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 104]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 14, 2016/पौष 24, 1937

No. 104]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 14, 2016/ PAUSA 24, 1937

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 2016

का.आ.120(अ).- भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है नामतः-

1. (i) इन नियमों को भारतीय चिकित्सा परिषद (स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा समिति) नियम, 1961 कहा जाएगा।
(ii) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. “भारतीय चिकित्सा परिषद (स्नातकोत्तर) चिकित्सा शिक्षा समिति नियम, 1961”, जिसमें आगे 27.10.2000 तक संशोधन किया गया था, में निम्नलिखित परिवर्धन/आशोधन/विलोपन/प्रतिस्थापन को दर्शाया जाएगा:-
3. “परिषद की बैठक” शीर्षक के अंतर्गत खण्ड 6 (2) में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“समिति की बैठक के गठन के कोरम में चार सदस्य उपस्थित होने चाहिए।”

[सं. वी. 11012/3/2015-एमईपी-1]

अली आर. रिजवी, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में दिनांक 14 जुलाई, 1961 की अधिसूचना सं. का.आ. 1699 द्वारा प्रकाशित हुई थी।

(1) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दिनांक 29 दिसंबर, 1981 की अधिसूचना सं. वी. 11019/2/81-एमई (नीति) द्वारा संशोधित।

(2) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 27 अक्टूबर, 2000 की अधिसूचना वी.1012/2/98-एमई (यूजी) द्वारा आगे संशोधन किया जाएगा।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th January, 2016

S.O.120(E).—In exercise of the powers conferred by Section 32 of the Indian Medical Council Act, 1956(102 of 1956) the Central Government hereby makes the following rules namely:—

1. (i) These rules may be called the Indian Medical Council (Post-graduate Medical Education Committee) Rules, 1961.
(ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the “Indian Medical Council (Post Graduate) Medical Education Committee Rules, 1961”, further amended till 27.10.2000, the following additions/ modifications/ deletions/ substitutions, shall be as indicated therein:-
3. In Clause 6(2) under the heading “Meeting of the Council”, the following shall substitute:-
“The quorum to constitute the meeting of the committee shall be presence of four members.”

[No. V.11012/3/2015-MEP-I]

ALI R. RIZVI, Jt. Secy.

Foot Note: The Principal, notification was published in the Gazette of India vide notification No.S.O.1699 dated the 14th July, 1961.

(1) Amended by Ministry of Health & Family Welfare, Notification No.V.11019/2/81-ME (Policy), dated the 29th December, 1981.

(2) Further amended by Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India Notification V.1012/2/98-ME (UG), dated 27th October, 2000.